ई मेल / फैक्स

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या:– 804 / 4–12एफ / 2016 दिनांक :–26–04–2017

विषय–प्रदेश में लेखपालों से प्रभारी राजस्व निरीक्षक का कार्य न लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ" द्वारा परिषद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त राजस्व निरीक्षक उपलब्ध हैं फिर भी कुछ जनपदों में लेखपालों से प्रभारी राजस्व निरीक्षक कार्य लिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण प्राप्त राजस्व निरीक्षकों को कार्यालय से सम्बद्ध किया जा रहा है। उक्त कार्य से प्रशिक्षण प्राप्त राजस्व निरीक्षक अपने को कुंठित तथा अपमानित महसूस कर रहे है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में जारी परिषदादेश संख्या–6879 / 4–12एफ / 2016 दिनांक 31–08–2016 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा यदि प्रशिक्षित राजस्व निरीक्षक उपलब्ध हों तो राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय कार्य लेखपालों से न लेकर नियमानुसार प्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।